न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 30/2026(GCMS 2026/70)
(RTI No. 212997878429947)

सुधीर पुत्र श्री काशीराम निवासी वार्ड नं. 11, लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 88908–19001)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुधीर स्वयं उपस्थित उन्हें हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2026 से तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह ऑनलाईन अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुधीर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2026 से तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थी :

चक 6 एसडीएस, 7 एसडीएस एवं 8 एसडीएस तहसील सादुलशहर पटवार हल्का खाटसजवार के दिनांक 01.08.2025 से 31.12.2025 तक सभी जमीन पैमाईश दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति।

तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2026/1036 दिनांक 27.04.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

मुताबिक दैनिक डायरी दिनांक 01.08.2025 से 31.12.2025 तक चक 6 एसडीएस, 7 एसडीएस एवं 8 एसडीएस तीनों चकों में पैमाईश का कोई कार्य नहीं हुआ हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है, जिससे यह पता नहीं चलता की सहायक लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार, सादुलशहर के द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं?, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 30/2026
(GCMS No. 2026/70)
(RTI No. 212997878429947)
सुधीर बनाम तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा** : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:23 IST
Reason: SelfAttested